भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3151
दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नकली दवाएं

3151. श्री दिनेश चंद्र यादवः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली दवाएं संपूर्ण देश के बाजार में खुलेआम उपलब्ध हैं;
(ख) क्या सीडीएससीओ ने हाल ही में लगभग 53 दवाओं को घटिया गुणवत्ता वाली पाया है क्योंकि वे सभी गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही हैं;
(ग) क्या उक्त सभी दवा निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है;
(घ) यदि नहीं, तो क्या दवा निर्माताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने में शिथिलता अन्य विनिर्माताओं को भी ऐसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करती हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा विभिन्न कंपनियों की मानक गुणवत्ता के अननुरूप/नकली/गलत ब्रांड वाली/मिलावटी घोषित की गई दवाओं की सूची केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की वेबसाइट (www.cdsco.gov.in) पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है और यह ड्रग अलर्ट शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध होती है। दवाओं की गुणवत्ता या सुरक्षा से संबंधित मामलों में, जब भी रिपोर्ट की जाती है, तो संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और इसके नियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें समुचित न्यायालय में अभियोजन भी शामिल है।

*****